पत्रांक–2 / स्था0–3–22 / 2013 / ....1625..... / आ0प्र0 19.5.14

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

शुद्धि पत्र

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1158 दिनांक–31.03.2014 के विषय एवं पत्र के साथ संलग्न प्रशासी पदवर्ग समिति के विचारार्थ संलख के विषय में " राज्य आपदा रिस्पौंस बल (SDRF) में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत 925 पदों" के स्थान पर "राज्य आपदा रिस्पौंस बल (SDRF) में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत 930 पदों" को पढ़ा जाय। पत्र एवं संलेख की अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

विश्वासभाजन,

(अनिरूद्ध कुमार)
अपर सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक –2 / स्था0–3–22 / 2013 / ....1625..... / आ0प्र0, पटना–15, दि0– 19.5.14

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना / समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0, बिहटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव

D:\Hali Wipro Photostat\Sri Kaushal Sir\Sewa pusti.docx 19-5-14.docx

संoसंo–2 / स्थाo–3–22 / 2013...1158....... / आoप्रo

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
अपर सचिव।

सेवा में

प्रधान सचिव,
गृह विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिo....31/3/14

विषय :राज्य आपदा रिस्पौंस बल (SDRF) में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत 925 पदों के विरूद्ध बिहार मिलिटरी पुलिस में पद सृजित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना है कि दिनांक 04.03.2014 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य आपदा रिस्पौंस बल (SDRF) में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदों के विरूद्ध बिहार मिलिटरी पुलिस में पद सृजित करने के संबंध में एक बैठक आहूत की गयी थी जिसमें भवदीय भी एक सदस्य थे। बैठक में राज्य आपदा रिस्पौस बल (SDRF) में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदो के विरूद्ध बिहार मिलिटरी पुलिस मे पद सृजित करने पर सहमति बनी थी।

उक्त सहमति के आलोक में राज्य आपदा रिस्पौंस बल (SDRF) में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत 925 पदों के विरूद्ध बिहार मिलिटरी पुलिस में पद सृजन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु एक संलेख प्रारूप (सीoडीo सहित) संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुo–यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

31/3/14
(अनिरूद्ध कुमार)
अपर सचिव

ज्ञापांक...1158......आoप्रo दिनांक....31/3/14

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/ समादेष्टा, बिहार राज्य आपदा रिस्पौस बल (SDRF), बिहटा, पटना को कार्यार्थ प्रेषत।

31/3/14
अपर सचिव

D:\Hali Wipro Photostat\Sri Pal sir\Latter 29-03-2014.docx

बिहार सरकार
गृह विभाग

प्रशासी पदवर्ग समिति के विचारार्थ संलेख

विषयः **राज्य आपदा रिस्पॉन्स बल (SDRF) में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत 925 पदों के विरूद्ध बिहार मिलिटरी पुलिस में पद सृजन करने के संबंध में।**

आपदाओं की दृष्टि से बिहार देश का अति आपदा प्रवण राज्य है। अपनी विशेष भौगोलिक संरचना के कारण बिहार राज्य प्रायः प्रत्येक वर्ष किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से आक्रांत होता रहता है। आपदाओं के आने पर प्रभावितों के खोज, बचाव एवं राहत कार्यों के लिए त्वरित रिस्पॉस के उद्देश्य से राज्य में NDRF के पैटर्न पर राज्य आपदा रिस्पांस बल (SDRF) की एक बटालियन की स्वीकृति आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या 698 दिनांक 16.03.2010 के द्वारा दी गई है। बटालियन में कुल 18 रैंक के 1157 पद सृजित हैं। सुयोग्य श्रेणी के कर्मियों के उपलब्ध न हो पाने के कारण वर्तमान में 50% से अधिक पद रिक्त चले आ रहे हैं।

2. SDRF के रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से SDRF में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदों के विरूद्ध बिहार सैन्य बल (BMP) में पद सृजन करने के लिए दिनांक 04.03.2014 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आपदा प्रबंधन विभाग की पहल पर आहूत की गयी थी। बैठक की कार्यवाही अनुलग्नक–1 पर संलग्न है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि SDRF में स्वीकृत जो–जो पद BMP की संरचना में उपलब्ध है, उन पदों को गृह विभाग द्वारा निर्धारित संख्या में BMP में स्वीकृत कर लिया जाए। इस प्रकार स्वीकृत पदो के विरूद्ध आपदा प्रबंधन विभाग की अधियाचना पर उपयुक्त उम्र के युवा कार्मिकों को 5–5 वर्ष के लिए SDRF में प्रतिनियुक्ति के आधार पर भेजा जाएगा। प्रतिनियुक्त कर्मियों को स्वीकृत वेतन एवं भत्तों के अलावा बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा। BMP की किन–किन बटालियनों में ये पद वितरित किए जाएंगे, से संबंधित निर्णय गृह विभाग अपने स्तर से लेगा।

3. SDRF में BMP से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति से होने वाले फायदों के बारे में भी बैठक में विमर्श हुआ जो निम्नवत हैं :–

(i) SDRF को उपयुक्त उम्र वर्ग के स्वस्थ कर्मी BMP से प्राप्त होते रहेंगे।

(ii) ऐसे कर्मी पूर्व से ही प्रशिक्षित एवं अनुशासित होंगे इसलिए उन्हें केवल आपदा रिस्पांस की बेसिक ट्रेनिंग देना ही आवश्यक होगा।

(iii) SDRF में प्रतिनियुक्त बल का विशेष परिस्थिति में त्वरित एवं सरल प्रतिस्थापन संभव होगा।

(iv) प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्षों की होगी एवं प्रतिनियुक्ति के उपरांत उन्हें वापस कर उनके स्थान पर नए कर्मी ले लिए जाएंगे। इसलिए SDRF के कर्मी सामान्यतः युवा होंगे।

(v) 5 वर्षों के बाद BMP में वापस कर्मियों को आपदा प्रबंधन में प्राप्त प्रशिक्षण एवं अनुभव का लाभ उनके पैतृक बल को मिलता रहेगा।

(vi) प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रोन्नत्ति आदि में सेवा संबंधी लाभ पूर्ववत प्राप्त होते रहेंगे, जिससे कार्य के प्रति उनका मनोबल बना रहेगा।

4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न तालिका के अनुसार SDRF में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत कुल 930 पद हैं, जो लगभग समतुल्य नामों से BMP की संरचना में शामिल हैं :-

क्र0	SDRF में स्वीकृत पद का नाम	पदों की संख्या	BMP में समतुल्य नाम
1	निरीक्षक (कार्यपालक)	30	निरीक्षक (सशस्त्र)
2	अवर निरीक्षक (कार्यपालक)	75	अवर निरीक्षक (सशस्त्र)
3	अवर निरीक्षक (संचार–रेडियो ऑपरेटर)	18	अवर निरीक्षक (संचार) रेडियो ऑपरेटर
4	अवर निरीक्षक / सहायक अवर निरीक्षक (आशुलिपिक)	5	अवर निरीक्षक / सहायक अवर निरीक्षक (आशुलिपिक)
5	हेड कांस्टेबल (ग्राउंड ड्यूटी / रेडियो ऑपरेटर)	191	हेड कांस्टेबल (ग्राउंड ड्यूटी / रेडियो ऑपरेटर)
6	हेड कांस्टेबल / कांस्टेबल (चालक–सह–मोटरबोट, चालक)	86	हेड कांस्टेबल / कांस्टेबल (चालक)
7	कांस्टेबल	525	कांस्टेबल
	कुल	930	

5. अतएव प्रस्ताव है कि BMP में विभिन्न श्रेणी के कुल 930 अतिरिक्त पदों को सृजन किया जाए जिन्हें BMP के विभिन्न बटालियनों में गृह विभाग द्वारा वितरित किया जाएगा एवं स्वीकृत पदो के विरूद्ध आपदा प्रबंधन विभाग की अधियाचना के अनुसार इन्हें 5–5 वर्षों की प्रतिनियुक्ति पर SDRF में भेजा जाएगा। आपदा प्रबंधन

विभाग इन्हें SDRF में समतुल्य पदों पर पदस्थापित करेगा। जिन पदो के सृजन का प्रस्ताव है वे निम्न तालिका में अंकित हैं :—

क0	पद का नाम	पदों की संख्या
1	निरीक्षक (सशस्त्र)	30
2	अवर निरीक्षक (सशस्त्र)	75
3	अवर निरीक्षक (संचार) रेडियो ऑपरेटर	18
4	अवर निरीक्षक / सहायक अवर निरीक्षक (आशुलिपिक)	5
5	हेड कांस्टेबल (ग्राउंड ड्यूटी / रेडियो ऑपरेटर)	191
6	हेड कांस्टेबल / कांस्टेबल (चालक)	86
7	कांस्टेबल	525
	कुल	930

6. उपरोक्त पदों की स्थापना पर होने वाले संभावित वार्षिक व्यय की गणना की गयी है जो कुल ₹ 206721360 (बीस करोड़ सड़सठ लाख इक्कीस हजार तीन सौ साठ रूपये) अनुमानित है। (विवरणी संलग्न)।

7. प्रस्ताव में मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

8. संलेख की कंडिका—5 में अंकित प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

प्रधान सचिव
गृह विभाग

ज्ञापांक 2 / स्था0—1—22 / 09 .... / आ0प्र0 पटना—15, दिनांक—

प्रतिलिपिः वित्त विभाग, बिहार, पटना को 10 (दस) अतिरिक्त प्रति के साथ प्रशासी पदवर्ग समिति की आगामी बैठक में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

-63

अनुमानित व्यय विवरणी

क0	पद का नाम	पे बैंड	ग्रेड पे	स्वीकृत किए जाने वाले पदों की संख्या	वर्षिक वेतन	मंहगाई मत्ता (100%)	चिकित्सा मत्ता	आवास मत्ता	परिवहन भत्ता
1	निरीक्षक (सशस्त्र)	9300-34800	4200	30	4860000	4860000	72000	972000	252000
2	अवर निरीक्षक (सशस्त्र)	9300-34800	4200	75	12150000	12150000	180000	2430000	630000
3	अवर निरीक्षक (संचार–रेडियो ऑपरेटर)	9300-34800	4200	18	2916000	2916000	43200	583200	151200
4	अवर निरीक्षक/सहायक अवर निरीक्षक (आशुलिपिक)	9300-34800	4200	5	810000	810000	12000	162000	42000
5	हेड कांस्टेबल (ग्राउंड ड्यूटि / रेडियो ऑपरेटर)	5200-20200	2000	191	16502400	16502400	458400	3300480	1604400
6	हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल (चालक)	5200-20200	2000	86	7430400	7430400	206400	1486080	722400
7	कांस्टेबल	5200-20200	1900	525	44730000	44730000	1260000	8946000	4410000
	कुल			930	89398800	89398800	2232000	17879760	7812000

अनुमानित कुल खर्च = 89398800 + 89398800 + 2232000 + 17879760 + 7812000 = ₹ 206721360 (बीस करोड़ सड़सठ लाख इक्कीस हजार तीन सौ साठ रूपये)